(3)

435 (शा०)
10.7.12

संख्या– 780 /35–2–2012–3/18(3)/2002

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्यानिदेशक,
उ0प्र0,लखनऊ ।

नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 6 जुलाई,2012

विषयः– वेतन समिति(2008) के दसवें प्रतिवेदन(भाग–4) में दी गयी संस्तुतियों पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग,राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0,लखनऊ के सेवा संवर्ग के वर्तमान ढांचे को पुर्नगठित करने विषयक ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्र संख्या–29(शा)जी–112/2004 दिनांक 12–04–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा संवर्ग के वर्तमान ढांचे को पुर्नगठित किए जाने सम्बन्धी वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1846/दस–54 (एम) 2008टी0सी0 दिनांक 10–10–2011 में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राजपत्रित सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के वर्तमान ढांचे को पुर्नगठित करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0स0	पदनाम/वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रूपये में	पदो की संख्या		भर्ती की प्रकिया/शैक्षिक अर्हता
		वर्तमान में	पुर्नगठन के उपरान्त	
1	2	3	4	
1	निदेशक/16400–20000 (संशोधित वेतनमान वेतन बेण्ड–4, रूपये 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन 8900)	01	01	मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में समूह ''क'' और समूह ''ख'' के पदों पर कुल पन्द्रह वर्षो की सेवा कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(पदोन्नति के द्वारा भर्ती के

क्र0प0प02/3

9.7.12
9.7.12
9-7-12
10/7/12

				लिए मानदण्ड) नियमावली यथा संशोधित के अनुसार पदोन्नति द्वारा।
2	अपर निदेशक/14300–18300 (**संशोधित वेतनमान** वेतन बेण्ड–4, रूपये 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन 8700)	01	02	मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को समूह "क" और समूह "ख" के पदों पर कुल दस वर्षों की सेवा कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति के द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली यथा संशोधित के अनुसार पदोन्नति द्वारा।
3	संयुक्त निदेशक/12000– 16500 (**संशोधित वेतनमान** वेतन बेण्ड–3, रूपये 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन 7600)	01	04	मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4	उप निदेशक/10000–15200 (**संशोधित वेतनमान** वेतन बेण्ड–3, रूपये 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन 6600)	24	28	मौलिक रूप से नियुक्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों में से जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा की हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अर्थ एवं संख्याधिकारियों को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को